न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 131/2020 जिला–सीकर।

1. कानाराम पुत्र द्वारका प्रसाद।
2. बनवारी पुत्र द्वारका प्रसाद।
3. घीसा पुत्र औंकार
   समस्त जाति अहीर (यादव), निवासी पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलान्टस्

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र दीपाराम जाति अहीर, निवासी ढाणी भानाकान तन पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2. सुल्तान पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी ढाणी सामली तन पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3. भगवाना पुत्र नारू जाति अहीर, निवासी ढाणी भानाकान तन पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट्स

5. गणेश सिंह पुत्र कानसिंह
6. रामेश्वर पुत्र मांगुराम
7. गंगासहाय पुत्र मांगूराम
8. बाबूलाल पुत्र द्वारका प्रसाद
9. सुवा पुत्र नाथू
   समस्त जाति अहीर, निवासी पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 12.10.2020 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राजाराम चौधरी।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 श्री एस.एल. कुमावत।
3. वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 से 3 श्री भंवर चौधरी।

निर्णय

दिनांक 29.07.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.10.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 25.11.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बाबूलाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत कराये जाने पत्थरगढी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3337, 3338, 3339, 3839, 3840 कुल किता 5 रकबा 3.29 है0 एवं भूमि खसरा नम्बर 3335, 3336 कुल किता 2 रकबा 1.31 है0 तन ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयो व माता दाखली देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसका सीमाज्ञान तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश कमांक भू.अ./20/711–13 दिनांक 03.06.2020 की पालना में दिनांक 07.06.2020 को पटवारी हल्का पीथमपुरी, भू.अ.नि. मण्ढोली ने प्रार्थी व अन्य पडौसी खातेदारान की मौजूदगी में की है। प्रार्थी के पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण संख्या 1

(सेवा राम स्वामी)

Scanned by CamScanner

व 2 है जो सीमाज्ञान रिपोर्ट के बावजूद विवाद उत्पन्न कर रहे है। अतः सीमाज्ञान दिनांक 07.06.2020 के अनुसार पत्थरगढी कराये जाने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 पारित कर ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 3335 से 3339, 3839, 3840 की पत्थरगढी गिरदावर हल्का के नेतृत्व में टीम गठीत कर प्रार्थी एवं पडोसी खातेदारान को सूचना देकर करवायी जाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर को आदेश प्रदान किये हैं। न्यायायल उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट उपस्थिति। वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 उपस्थित। शेष रेस्पोडेंट संख्या 5 से 9 की ओर से कोई उपस्थित नही। अधिवक्ता अपीलांटस एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विधि अनुसार अन्तर्गत धारा 128 रा.भू. अभि. चारो दिशाओ के पडौसी खातदारो को पक्षकार संयोजित कर प्रस्तुत करना आवश्यक है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल एक तरफ के खातेदारो से मिलीभगत कर आवेदन प्रस्तुत कर एकबालिया जवाब प्रस्तुत कर शेष तीनो दिशाओ के पडौसी खातेदारो को पक्षकार संयोजित किये बिना ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किय बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 07.06.2020 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किया गया जबकि सीमाज्ञान रिपार्ट दिनांक 07.06.2020 में जिन खसरा नम्बरो का सीमाज्ञान किया जाना अंकित किया गया, उसके अलावा भी अन्य खसरा नम्बर जिनके प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता खातेदार ही नही उनको भी पत्थरगढी किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 07.06.2020 अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई हैं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता एवं अपीलार्थीगण की खातेदारी के मध्य सार्वजनिक रोड खसरा नम्बर 3338 एवं 3337 स्थित है और दोनो तरफ के खातेदारो द्वारा अपनी–अपनी भूमि के तारबाउण्ड्री के महमुद कर रखा है। रेस्पोडेंट अपीलार्थी की तारबंदी से महमुद भूमि पर अपीलाधीन आदेश की आड मे कब्जा करना चाहता हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 का वर्तमान नक्शे में अंकित भूमि खसरा नम्बर 3839, 3840 पर वास्तविक कब्जा नही हैं। वास्तविक कब्जे के अभाव में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कब्जे के संबध में परिणामिक अनुतोष चाहे बिना संधारण योग्य नही था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2020 को अपीलाधीन आदेश पारित कर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया कि टीम गठित कर प्रार्थी एवं पडौसी खातेदारान को सूचना देकर पत्थरगढी की जावे। जबकि तहसीलदार द्वारा ऐसा कोई सूचना/नोटिस अपीलार्थीगण को नही दिया गया। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथना जिला सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2020 निरस्त किया जावे ।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के योग्य अधिवक्ताओ ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 विवादित भूमि

Scanned by CamScanner

आसजी खसरा नं. 3335 से 3339, 3839, 3840 तन ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर का खातेदार है और अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के विधिक अधिकारी हैं। अपीलान्ट्स विवादित भूमि के खातेदार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित कर ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 3335 से 3339, 3839, 3840 की पत्थरगढी गिरदावर हल्का के नेतृत्व में टीम गठीत कर प्रार्थी एवं पडोसी खातेदारान को सूचना देकर करवायी जाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर को आदेश प्रदान किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज की जावे ।

7. मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के पत्थरगढी कराने के संबंध मे विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3335 से 3339, 3839, 3840 तन ग्राम पीथमपुरी का सीमाज्ञान तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश कमांक 711–13 दिनांक 03.06.2020 की पालना में पटवारी हल्का पीथमपुरी व भू0अ0निरीक्षक मंढोली के द्वारा दिनांक 07.06.2020 को किये जाने के पश्चात उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत किया था। रेस्पोडेंट संख्या 01 के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03) जिनको प्रार्थी (वर्ततमान रेस्पोडेंट संख्या 01) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदार बताया गया है उन्होने भी प्रश्नगत भूमि की उपस्थिति होकर पत्थरगढी किये जाने पर अपनी सहमति जाहिर किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 पारित कर ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 3335 से 3339, 3839, 3840 की पत्थरगढी गिरदावर हल्का के नेतृत्व में टीम गठीत कर प्रार्थी एवं पडोसी खातेदारान को सूचना देकर करवायी जाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर को आदेश प्रदान किये हैं। तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश पर पटवारी हल्का पीथमपुरी द्वारा जिस भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 07.06.2020 को किया गया था वह अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि नहीं है तथा रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01 की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान किया गया था। रेस्पोडेंट संख्या 01 प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने का काननून अधिकार है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम समझते हैं कि प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01 की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 07.06.2020 को होने के पश्चात रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 पारित कर ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 3335 से 3339, 3839, 3840 की पत्थरगढी गिरदावर हल्का के नेतृत्व में टीम गठीत कर प्रार्थी एवं पडोसी खातेदारान को सूचना देकर करवायी जाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर को आदेश प्रदान किये हैं जो उचित एवं

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्टस् सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9. अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस् खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सभागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner